

कार्यालय—निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:—शिविरा—प्रारं/बजट/बी-1/वेतन आहरण/2022/

दिनांक :- 21.09.2022

जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा—समस्त।


मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
समस्त।

विषय:—लेखामद 2202-01-113-01-01 अन्तर्गत वेतन आहरण के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मांग संख्या 24 के तहत लेखामद 2202-01-113-01-01 अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता एवं राज्य निधि दोनो में ही आनुपातिक रूप से प्रावधान वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। वेतन विपत्र बनाते समय भी आनुपातिक रूप से केन्द्रीय सहायता तथा राज्य निधि में राशि अंकित कर विपत्र कोषालय को अग्रेषित किया जाता है। अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा लेखामद 2202-01-113-01-01 CA अन्तर्गत पे-मेनेजर पर विपत्र नहीं बनने की समस्या बताई जा रही है। अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त लेखामद में विपत्र 2202-01-113-01-01 SF में प्रोसेस कर वेतन आहरण करावे।


इसी प्रकार भविष्य में यदि 2202-01-113-01-01, 2202-01-113-01-02 तथा 2202-01-113-01-03 लेखामद अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता(CA) अथवा राज्य निधि (SF) दोनो में से किसी एक में Insufficient Budget का मेसेज आने पर उसी लेखामद में यथा (CA/SF) में विपत्र प्रोसेस किये जाने की कार्यवाही करावे।

इस क्रम में अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों को सूचित करावे।


मुख्य लेखाधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:—

1. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
2. यू.सी.ई.ई.ओ./पी.ई.ई.ओ समस्त।
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग।
4. रक्षित पत्रावली।


मुख्य लेखाधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर